



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी रूपनारायण पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी	ब ना म	प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र गोर्धन जाति ब्राह्मण सा. राणासर वगैरह
राजस्व वाद- दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रेकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नं. 194 /2022	GCMS No.2022/ 382	
गत वाद-पत्र नं. 74/2015	RCMS No.2015/00128	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
<p><u>13/11/2022</u></p> <p><u>21.12.2022</u></p>	<p>यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के पत्रांक/राजस्व/13000 दिनांक 01.11.2022 के साथ आदेश दिनांक 12.10.2022 की प्रति प्रमाणित प्रति अनुसार अपील अपीलांट हरिकिशन उर्फ श्री हरिकृष्ण शास्त्री पुत्र गोर्धन जाति ब्राह्मण के कायम मुकामान 1/1 धापू बाई पत्नी स्व. हरिकिशन उर्फ श्री हरिकृष्ण शास्त्री 1/2 लखनलाल शास्त्री पुत्र स्व. हरिकिशन उर्फ श्री हरिकृष्ण शास्त्री 1/3 बृजबाला पुत्री स्व. हरिकिशन उर्फ श्री हरिकृष्ण शास्त्री निवासीगण राणासर हाल निवासी सुदामा नगर इंदौर मध्यप्रदेश के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गई।</p> <p><i>" अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2016 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इन निदेशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोंडेंट सं. 10 को विधिवत सही पते पर तामील करवाकर एवं मृतक रेस्पोंडेंट सं. 11 व 12 के विधिक वारिसान को संयोजित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से पुनः नियमानुकूल निर्णय पारित करे।"</i> प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान सूचित होकर पत्रावली दिनांक <u>07/02/2023</u> को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p> <p> 21.12.2022 <i>समाप्त पेश डी माननीय विवेचन मसेय राजस्व</i> <i>राजस्व अपील अजमेर के पत्रांक/टीए/कुचामन/2022/741/वाद</i> <i>22.02.2023/11635-36 दिनांक 15.12.2022 डीए पत्रांक</i> <i>की गति पर पत्रावली वापस राजस्व अजमेर के</i> <i>कोषी पत्रांक पत्रावली स्थिति है</i> </p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </p>	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

क्रमांक / कोर्ट / 2022 / 339

दिनांक:- 21.12.2022


प्रेषित :- माननीय निबंधक महोदय
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

विषय :- राजस्व वाद सं. 74 / 2015 RCMS 2015 / 00128 रूपनारायण बनाम राधेश्याम वगैरह में
पारित निर्णय डिक्री दिनांक 25.01.2016 की पत्रावली भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक / TA / अपील / 2022 / 7241 / नागौर / 22.02.2023 / 16635-36 दिनांक
15.12.2022 (श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रूपनारायण बनाम धापूबाई तारीख पेशी
22.2.2023)

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषय में निवेदन है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 74 / 2015 RCMS 2015 / 00128 रूपनारायण बनाम राधेश्याम वगैरह में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 25.01.2016 में अपील होने से मूल पत्रावली चाही गई है। जो मूल ही पत्र के संलग्न श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। कार्यालय रिकार्ड हेतु प्राप्ति रसीद भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न :- राजस्व वाद सं. 74 / 2015 रूपनारायण बनाम राधेश्याम
पृष्ठ संख्या 01 से 76 तक


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)